

आदेश

कार्यवाही विवरण  
राजस्थान सरकार बनाम मूलचन्द आदि  
प्रकरण संख्या 03/2017

अधुपालना के  
क्रमांक व  
दिनांक

20.04.22

पत्रावली पेश हुई। वकील/राज पैरोकार उपस्थित। प्रकरण को दर्ज हुये करीबन 6 वर्ष समय हो चुका है। पत्रावली का अवलोकन करने से पत्रावली वर्तमान में तलबी में जैरकार है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रकरण न तो "PRESS" किया जा रहा है और न ही प्रकरण में रुचि दिखाई जा रही है। अतः उक्त प्रकरण "PRESS" नहीं करने के कारण खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित किया जाता है कि यदि प्रकरण में पुनः कोई कार्यवाही आवश्यक प्रतीत हो तो नये सिरे से पर्याप्त साक्ष्य सबूत व पूर्ण रूप से पैरवी करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. इ. एम. (फा. ट्रे.)  
नवलगढ

